



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072025-264836
CG-DL-E-21072025-264836

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3235]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947

No. 3235]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3308 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-139 के मौजूदा कि.मी. 17.840 से मौजूदा किमी 20.057 तक (नौबतपुर-अरवल-औरंगाबाद-हरिहरगंज-खंड) के चौड़ीकरण / 4-लेनिंग कार्य में भूमि अर्जन, रख-रखाव, प्रबंधन एवं संचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), स्तम्भ (5), स्तम्भ (6) और स्तम्भ (7) में क्रमशः राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के संबंध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-139 के लिए मौजूदा किमी. 17.840 से मौजूदा किमी. 20.057 तक (नौबतपुर-अरवल-औरंगाबाद-हरिहरगंज खंड) नौबतपुर बाजार के 4 लेन चौड़ीकरण और सुदृढीकरण का निर्माण के लिए भू-अर्जन की जानेवाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित ग्रामों का संक्षिप्त विवरण।।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH139 (Old NH-98)	बिहार	पटना	नौबतपुर	1 कोपा खुर्द

	,पटना	के कि.मी 17.84 से कि.मी 20.057 तक					2	महाराजगंज
							3	चेचौल
							4	नौबतपुर

[फा. सं. RW/PAT/NH-139/Naubatpur Bazaar/LA/2025]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3308(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction (widening/four-laning,e.t.c),maintenance, management and operation from Existing km 17+840 To Existing km 20+057 (Naubatpur-Arwal-Aurangabad-Hariharganj section) of the National Highway No. 139 in the state of Bihar.

SCHEDULE

Land Acquisition for Construction of 4 lane widening and strengthening of Naubatpur Bazaar for National Highway-139 From Existing km. 17.840 to Existing km. 20.057 (Naubatpur-Arwal-Aurangabad-Hariharganj section) in the State of Bihar.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	DLAO, Patna	NH139 (Old NH-98) KM 17.84 TO KM 20.057	BIHAR	PATNA	Naubatpur	1	Kopa Khurd
						2	Maharajganj
						3	Chechaul
						4	Naubatpur

[F. No. RW/PAT/NH-139/Naubatpur Bazaar/LA/2025]

SHAIKH AMINKHAN, Director